

अनुदान संख्या 82 - पेय जल पूर्ति विभाग
GRANT No. 82-DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	9302,84,00	9302,85,00	9300,01,08	-2,83,92
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,86,54

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	284.00	427.42	427.40	-0.02
पु.	R.	143.42			
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"				
जल पूर्ति तथा सफाई	Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	688727.00	755465.33	755367.98	-97.35
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	66737.33			

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	93000.00		
पु.	R.	-93000.00
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	148273.00	174205.71	174205.70
पु.	R.	25932.71		-0.01

(I) 93004.00 लाख रु. का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 93000.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "जल पूर्ति - ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम - त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम" - 81000.00 लाख रु; और

(खा) "मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं - ग्रामीण सफाई कार्यक्रम" - 12000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2215" - "मलजल एवं सफाई - सफाई सेवाएं - निर्मल ग्राम पुरस्कार" के अंतर्गत 4080.00 लाख रु. की बचत (18000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(I) Provision of Rs.93004.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.93000.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Water Supply - Rural Water Supply Programme - Accelerated Rural Water Supply Programme" - Rs.81000.00 lakhs; and

(B) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Rural Sanitation Programme" - Rs.12000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2215" - "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Nirmal Gram Puraskar" - saving of Rs.4080.00 lakhs

में) सख्त प्रक्रिया नियंत्रण और निगरानी की वजह से पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या में कमी आने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 88.43 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (16080.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2215" - "मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं - राज्य जल और सफाई मिशन, जिला जल और सफाई समितियां, मिशनों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों आदि" के अंतर्गत मार्च, 2010 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 16078.49 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - पेयजल पूर्ति विभाग" - 143.40 लाख रु. का अधिक व्यय (284.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2215" - "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - राज्य बोर्डों, प्राधिकरणों आदि को अनुदान" - 54749.29 लाख रु. का अधिक व्यय (580017.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम" - 25932.70 लाख रु. का अधिक व्यय (148273.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(against the sanctioned provision of Rs.18000.00 lakhs) was due to reduction in number of awardees owing to strict process control and monitoring.

(III) Under one head saving of Rs.88.43 lakhs occurred constituting 23 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.16080.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2010 under Major Head "2215" - "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Grants to State Water and Sanitation Mission (SWSM), District Water and Sanitation Committees, Missions, DRDAs etc.". Actual excess, however, was Rs.16078.49 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Drinking Water Supply" - excess of Rs.143.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.284.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries.

(B) Major Head "2215" - "Water Supply - Rural Water Supply Programme - Grants to State Boards, Authorities etc." - excess of Rs.54749.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.580017.00 lakhs); and

(C) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Water Supply - Rural Water Supply Programme - Accelerated Rural Water Supply Programme" - excess of Rs.25932.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.148273.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.